भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3669
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

बीएडीएफ के अंतर्गत पंजाब को वित्तपोषण

†3669. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब के लिए सीमा क्षेत्र विकास निधि (बीएडीएफ) जारी की गई है;
(ख) यदि हां, तो तरण-तारण और फिरोजपुर सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इसमें किन ब्लॉकों को शामिल किया गया है; और
(घ) गत दो वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): 17 सीमावर्ती राज्यों से अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजनाएं प्राप्त होने पर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत इन राज्यों को वार्षिक रूप से निधियां जारी की जाती हैं। पंजाब राज्य में 6 जिलों यथा अमृतसर, तरण तारण, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर और पठानकोट के अंतर्गत कुल 22 सीमावर्ती ब्लॉकों यथा, अजनाला, चौगांव, अटारी, हर्शेछिना, भिखीविंड, गांदीविंड, वालटोहा, पत्ती, फाजिल्का, जलालाबाद, खुयान सरवर, फिरोजपुर, गुरूहरसहाई, मामडोट, घाल खुर्द, डेरा बाबा नानक, दीनानगर, डोरंगला, गुरदासपुर, कलानौर, नरोट जयमल सिंह, बामियाल इत्यादि को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत शामिल किया गया हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को धन जारी करती है, जो बाद में जिलावार आबंटन करती हैं। अत:, बीएडीपी के तहत जारी की गई निधि के बारे में जिला-वार, ब्लॉक-वार तथा परियोजना-वार आंकडें केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान बीएडीपी के तहत पंजाब को जारी निधियों (केन्द्र का हिस्सा) का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधियां (केन्द्र का हिस्सा) (करोड़ रु. में)
1.	2017-18	28.00
2.	2018-19	33.08

******